(21)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी संख्या– /2014

निग–1759–III–14

...........को ....द्वारा आज दि. 11.6.14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11.6.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महिला पुनियाबाई वेवा श्री बल्लूराम ढीमर (कड़ा) आयु 79 वर्ष निवासी मुहल्ला नारगुड़ा दरवाजा, टीकमगढ़ तहसील थाना व जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

.....**निगराकार/आवेदिका**

बनाम्

1– महिला बैनीबाई पत्नि राम कृष्ण यादव आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम अनंतपुरा मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने, तहसील थाना व जिला–टीकमगढ़

2– म.प्र. शासन ....**प्रतिनिगराकार/अनावेदक**

निगरानी प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़ के सीमांकन प्रकरण क्रमांक–36/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18–5–2014 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगराकार/आवेदिका की विनय सादर प्रस्तुत है :–

यह कि, राजस्व निरीक्षक टीकमगढ जिला टीकमगढ़ म.प्र. का उक्त आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है क्योंकि सीमांकन के नियम जो म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में दिये हैं उसका प्रथम दृष्टया पालन नहीं किया गया है। सीमांकन करने के पूर्व हद से लगे भू–स्वामियों/प्लाट मालिको/कृषकों को सूचना देना अनिवार्य है। परन्तु सूचना आवेदिका को विधिवत नहीं दी गयी, व इनसे लगे भू–स्वामियों/प्लाट मालिक नामदेव एवं अन्य भूमि स्वामियों को सूचना/नोटिस नहीं दी गयी है, बल्कि सूचना के नाम पर खाना पूर्ति की गयी है जो प्रतिनिगरार क्र. 1 को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह सीमांकन बताया गया है यह सीमांकन एकांगी एवं बाला–बाला तरीके से करने की पुष्टि करता है। जिससे उक्त सीमांकन दिनांक 18–5–2014 का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। उक्त तथ्य श्रीमान के समक्ष विचारणीय है।

(2) यह कि, प्रतिनिगराकार क्रमांक–1 का जिला टीकमगढ की तहसील टीकमगढ के अंतर्गत मौजा अनंतपुरा के खसरा नं. 264/1/2ग के सीमांकन में आवेदिका/निगराकार का 0.030 हैक्टे. पर कब्जा राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया जिसमें प्रतिनिगराकार क्रमांक–1 की तरमीम अवैध थी और अवैध तरमीम के आधार पर किया गया सीमांकन अवैध हो जाता है। महिला बैनीबाई ने तहसीलदार टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक–39/अ–3/ ... 2014 के द्वारा अवैध तरमीम करा ली थी जिसकी प्रति

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.- 1759-तीन/2014 **जिला- टीकमगढ**

महिला पुनियाबाई विरूद्ध महिला बैनीबाई व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी एवं श्री एम.पी. भटनागर अभिभाषक उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़, जिला- टीकमगढ़ के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 25/4 सदस्य	